




3.1.1. The institution Research facilities are frequently updated and there is well defined policy for promotion of research which is uploaded on the institutional website and implemented

Board of Management related to Research Promotion Policy and its Adoption, Plagiarisms Prevention Regulation

Registrar
A.P.S University
Rewa (M.P.)



दिनांक 21.02.2019 को प्री. पी.एच-डी. प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

मूल्यांकन के विषय में विचार करना। 1.

> निर्णय लिया गया कि गोपनीय विभाग के माध्यम से 10 दिवस में मूल्यांकन का कार्य पूर्ण किया जाय।


साक्षात्कार के सम्बन्ध में विचार करना-2.

> 25, मार्च 2019 से 31, मार्च 2019 के बीच में साक्षात्कार की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में सम्पन्न करायी जाय।

प्री. पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा की तिथि को बदलने के सम्बन्ध में विचार करना-3.

निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाए क्योंकि विज्ञापन के साथ यह सूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है और दूर के छात्रों का ्रिजर्वेशन भी हो गया होगा। अतः प्रवेश परीक्षा दिनांक 03 मार्च, 2019 को यथावत रखा जाए।

N	Nave :	M	त्या क प्रात	धन्यवाद क साथ	बठक समाप्त हुइ		la.
	21/2	2	112119	म्यवाद के साथ व		29/2/19	1
4	2.2.0	62500	2		1	JE ( 1 .	2
	2:2	( A dina	196	re jaro a	2/16 p-	CHE.	
	-	091.				7.0	
	81/2/19	- Ken		217 11	1 5 y/k	713	. <
			N .	CONT. DO DO	JE STON	12	
			*	jir	-76 4	0(2-	7.43
				010-421	Alley 1874	JVE	
	-			70			
	3	192		14-10-1-10-	Right In 1	6	- 8
a de s			645 Jul 72	the short of	13/4-	100	
			dentil	1 - 1/2 Lake	150 0 1	112	
					-		
La company		/			7		
ix'					/	7.4	
				1			




### DIRECTORATE-RESEARCH AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, RI **DET-2018: INTERVIEW SCHEDULI**


io.	Date	Time	Subject	Roll No.(s)
	25-04-2019	11 AM	ENV. BIOLOGY	18175001 - 18175022
			ADDRESS	
	25-04-2019	11 AM	AIHC & A	18064001 - 18064037
				18273092
	25-04-2019	11 AM	BUSINESS ECO.	18065001 - 18065008
	25-04-2019	HAM	COMMERCE	18241001 - 18241058
		02PM		18241061 - 18241108
	26-04-2019	IIAM		18241110 - 18241185
	200, 2017	02PM		18241188 - 18241299
	25-04-2019	11 AM	MATHS	18077010 - 18077069
ž į	25-04-2019	02PM	MATHO	18077070-18077135
	26-04-2019		DUVSICS	
)	26-04-2019	11 AM	PHYSICS	18017005 - 18017121
7	26-04-2019	11 AM	BIOTECHNOLOGY	18242012 - 18242064
		×		
8	26-04-2019	2:30PM	COMPUTER SCIENCE	18007001 - 18007102
9	26-04-2019	11AM	AYURVED-	
			(All Branches)	10045000 10045010
			SHALYA	18245002 - 18245012
			KAUMARYA	18248009
			SHARIR	18253001 - 18253020
			SAMHITA	18254001 - 18254035
			KAYA	18285004 - 18285029
10	09-05-2019	11 AM	CHEMISTRY	18014001 - 18014049
		02PM		18014051 - 18014103
	10-05-2019	HAM		18014105 - 18014176
	10 03 2017	02PM		18014177 - 18014241
11	09-05-2019	11 AM	BOTANY	18238002 - 18238045
	05-05-2017	02PM	DOTALL	18238047 - 18238093
	10.05.2515			18238094 -18238144
	10-05-2019	11AM		18238146-18238166
		02PM		18277171-18277172
12	09-05-2019	LLAM	ECONOMICS	18270001-18270038
12	09-03-2019	02PM	- ECONOMICS	18270039-18270080
	10-05-2019	HAM		18270081-18270123
	10-05-2019	02PM		18270124-18270160
13	09-05-2019	HAM	EDUCATION	18240003-18240158
		100 (C) E/A (C)		18240162-18240278

22\_

			1 10000017	DEPTT. OF ENGLISH
0.115.71110	OPM CONT	ENGLISH	18069002-18069042 18069048-18069094	
	8		18069095-18069137	
11-112-7010	MAIS		18069138-18069195	William William
A 02 XIII	02PM	PHYSICAL EDUCATION	18243001-18243038	DEPT. OF PHYSICAL
0-05-2019	11 AM	THI SICAL EDUCATION		LDUCATION
10-05-2019	HAM	GEOLOGY	18278002-18275026	DEPTT OF PHYSICS
		•	18276004 - 18276053	DEPTT. OF PHYSICS
20-04-2019	02 PM	HOME SCIENCE	18271001-18271068	MSW
15-05-2019	02PM	SOCIOLOGY	18271069-18271135	(ANTARBHARTI)
14 02 2010			18271137-18271191	
16-05-2019	02PM		18271195-18271259	
15-05-2019	HAM	ZOOLOGY'	18175018-18277039	DEPTT. OF ENV.BIOLOGY
1,400,2015	02PM	economic and a second	18277040-18277082	-4
16-05-2019	HAM		18277084-18277122	
	02PM		18277127-18277170	
15-05-2019	HAM	HINDI	18071001-18071047	DEPTT, OF HINDI
	02PM		18071048-18071099	
16-05-2019	HAM		18071101-18071151	
	02PM		18071152-18071205	
17-05-2019	HAM		18071207-18071258	
	02PM		18071260-18071314	
18-05-2019	HAM		18071315-18071373	8
	02PM		18071377-18071438	
17-05-2019	9   11 AM	POLITICAL SCIENCE	18272001-18272090	DEPTT. OF BUSINESS ECO (MANVIKI BHAVAN)
17-05-2019	9 02PM	GEOGRAPHY	18274002-18274039	DEPTT. OF BUSINESS ECO
18-05-201	0 11331			(MANVIKI BIJAVAN)
18-03-201	9 11AM 02PM		18274040-18274118	
25-05-201		BUSINESS	18274119-18274188	
	Trasi	ADMINISTRATION/MAI GEMENT (MBA)	18073001-18284031	MBA BUILDING
25-05-201	11 AN		18068003 - 18068004	DEPTT. OF PSYCHOLOGY
25-05-20	19 02PM	PHILOSOPHY	18267001-18267005	DEPTT. OF PHILOSOPHY
25-05-20	19 11AM	SANSKRIT	18239001-18239047	DEPTT, OF PHILOSOPHY
25-05-20	19 02PM	MUSIC	18268001-18268025	
			1020001-18268025	Directorate-Research
25-05-20			18273001-18273053	Library Building
	02PN	I s	18273054-18273/124	DEPTT. OF AIHC & A

प्रिम्मात डीवेंट्य दिनाष 23:04.2019 नी पी एच-डी प्रवेश स्क्रित डी विठक दिनाई 23.4.2019 - एच-डी- प्रवेश परीक्षा डा सामान्तर ाध्या जाता 经多户分 WIRE OF ICT FOR WHO DET FOR Scanned with OKEN Scanner






2.. प्रत्येक विषय के मेरिट सूची के बाद प्रतीक्षा सूची में विषयवार सभी शोध निर्देशकों के कुल उपलब्ध सीट संख्या का 25 प्रतिशत संख्या रखा जाय। प्रतीक्षा सूची के आवेदकों से कोर्सवर्क हेतु निर्धारित शपथ पत्र लेकर उन्हें कोर्सवर्क में प्रवेश हेतु अनुशंसा की जाती है।

3. अंतिम सूची प्रकाशन के लिये प्रपत्र का प्रारूप मान्य किया जाता है।

Sr. No.	Roll No.	Name	Merit Marks	Name of Supervisor	Research Centre	Remark
			14.79	A PAGES		

अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद	के साथ बैठक समाप्त हुई	diwardon a. Mathrele
T. K.	2009	Juna de la Mathiele
RIGIN	FIRST TO FEE	स्थालय ज्ञान र विक्रिया क्रांस
- reje -	my 1 25-1 ho -1	intelled process
TOTE IN STREET TO SEE THE STREET TO SEE THE STREET TO SEE THE	THE SOLVETON	) (1) HERTON
	685	

## TINE # 20 20 18-11 29 16/2019





信何是一01.07,2019 DET-2018 में समिमलित प्रतिभाजी इत्वन्द् पावट्य अव्यामार 18239030 स्टेंट्स विधम के अपवेदन के सन्दर्भ में संदर्भ में अंदर्भाद्यम प्रा हिनेश केशाहा RAC के सक्ता प्रेंग जार पी नात्रीती अहा प्राप्त अक्रालिका ( P. AC, ठारा), वहा परीक्षात किया गमा।

परीक्षक में पाया गया कि क्याला के पाइडिया के द्वार RAC 15418415416 लिया गमा है, जिलाबा योग 64 (-भेसर) र्जंब होता है किन्तु थोग में गयमा बी गुरि के 54 (नीका)

लिरका गया है।

वातः इसे ६५ (नीसर) डींड होने ये तल्लुसार अपन्थार धार्यनाही की जाम ( इसेंडे टावा की प्रेंट कत विधय की क्रिकालिका के अन्य क्मी प्रतिभागियों के मांग का भी प्रनाह दिश्व लिया गमा है अन्य सभी माग शिही है





दिनांक 03.07.2019 को प्री. पी.एच-डी. प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक में निम्नलिखित

1. इ. 01 को विचार में लेने के पूर्व सह पठित क्रमांक 02 के साथ निर्णय लिया गया

संयुक्त रूप से कार्यसूची के बिन्दु क्र. 01 एवं 02 पर निर्णय लेते हुए अनुशंसा की गयी कि DET-2018 के साक्षात्कार के RAC द्वारा निर्धारित प्रत्येक विषय में Cut off Marks के बराबर या उससे अधिक प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को इस आशय का वचन पत्र/शपथ पत्र लेकर कोर्सवर्क करने के लिये अनुमति प्रदान की जा सकती है। कि वे स्वयं की जिम्मेवारी से प्रवेश ले रहे है कि उन्हें शोध निर्देशक मिल जायेंगे। किसके लिये शोध संबंधी आगामी कार्यवाही के लिये संबंधित उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होनें साथ ही मध्यप्रदेश आरक्षण नियम के अनुसार समस्त संवर्गों के लिये विद्यारित प्रावधानों को लागू किये जाने की भी अनुशंसा की जाती है। यहाँ यह विशेष लय से उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यवाही का विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों से समुचित अनुमोदन करा लिया जाय।

3. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पत्र क्र./1664 दिनांक 11.06.2019 जो कि कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह को संबोधित है, को भी समिति ने संज्ञान में लेते हुए यह अनुशंसा की, कि चूंकि प्रकरण नीतिगत है तथा दो विश्वविद्यालयों के मध्य अकादिमक गतिविधियों के आदान-प्रदान से संबंधित है। अतः इस पर विश्वविद्यालय के सक्षम अकादिमक/प्रशासिनक निकायों के माध्यम से समुचित निर्णय लेकर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

संयोजक एवं सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

37-19 Ohio 12 317/19 Ray 03/07/19

Wathale 03.07.19 -8-20 317119

## क्रीर्स समन्वमें री बेटन स्वा

अटम साला में आयोगिता है। अने किया अप्राप्ति के के माननीय हैं लगि की की सामानित के के माननीय हैं लगि की की सामानित के की सामानित की की साम

रे 13 र मार्ग नेठक में पद्मारन का का कहा कर


H-HOLD

नीनी स्कार है। के कार्य है। कि कि निकार कि आरेशस्यार त्री.पी-स्न-डी. कीश वर्ष के सामाप म समन्वयकों की बेडेक दिनोंक 14.8.2019 के दिन सुद्दावार यह है। बुक्त में निम्न संदश्म उपस्कित हैं में। 55,000 ष्ट्रीव के स्वव सिंह मानव कुलागते. 2- योव आरः स्वमव मिन्द्रा स कोश समन्वयम् Julblin 3- यो० विजय बुमार अग्रवाल 4- यो व स्वव पी व पाठक वन्त्राविड किरिक्ट विमिष्ट्रि गर्न - 2 14/08/19 7. प्राव रसक स्था अग्रवाल 5.14/0/15 योग आर्ग्सन सिंह 9. भार मावता डीवास्तव Showstern 14/8/19 ७ . या दिनेश दुश्वाहा ,, 2014.8.19 11. या ०(कीमती) शुभा 12. याठ डी न्स्मन बद्दोल 13. त्रा॰ अनुल पाँडेय 14: 110 श्रीकाल निम् 15. श्री महरान्यन् छीवास्तव

121-8-41 286 (F. Home . 12. 1 त्रीठ छारु स्मर तिवारी कीस समन्नमक यार खीमती) जीमेला यामी, यीव्याम , उपसंचलकु, खाल साहन सिंह, मुखयानम् का किया किया गया दिनां के 19. द. 2019 अप से प्री पी- एन-डी को से वर्ष 3) श्री प्रशासा है। संचालन किये जाने का लिए क मे व्यमस्या हु प्रयम वर् संचालन न्य रिक्या यात्रा / इस सम्बन्ध में पञावली अक्रमाधीन है

स्वेश समित ही चेट्स प्रमां 30-8-2019 रमानी कार मह से सामान्यत मानदेश गतन है सम्बन्ध में क्यार है। आज दिनाम 308.209 बी उपरिन्यूनी ने माह सार है सी जारा एम व मिस समाजाष्ठ विभागास्य १५ की न्या हिम विकान 3070719 विभाग 43621 5- मो अनील बुनार विवासी अन्गर लाह के लोगे। लानगे विमाग प्रोच अन्व स्नव सिंह मा कि के राम उप राजालक जीप राजा तिमानि विद्वानों से लिये जारी कारित आरेश प्रमान रिका स्मितिमा विद्वानों से लिये जारी कारित आरेश प्रमान रिका दिनांस 18 के से रिका असी किये गये सारेख से अस्तु पार सत्येक अतिकि जिस्म के तीन व्याख्यानं रुधा माहभर मुगतान भी अधिकतम की सीमा २- 25000: 2 के अंडिया मिश्वाम किमा जाता है न्हेर अक्त आदेश के सम्बन्ध विश्वामिकारम के नियमित प्राठम्डमा हर्व स्थ एस. पी पाठम्डमा के सम्बद्धि है

ना प्रमान्य किन्य केवल इन्ही पाल्य क्रमा में में मह स्पेक्ष रूप विस्माति उत्पन्ध डे प्रति कन्यवाह 30/8/19 30/8/19



### संचालनालय—शोध अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

### बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक / शोसं. / 2018 / 273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 14.10.2019 को अपरान्ह 03:.30 वर्ज शोध संचालनालय में आयोजित की गयी । जिसमें सदस्यों उपस्थिति निम्नानुसार रही—

संयोजक प्रो. आर.एम.मिश्र 1. विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग प्रो. जे.पी. सिंह सदस्य 2.. आचार्य, गणित विभाग प्रो.एन.पी. पाठक सदस्य 3. आचार्य, व्या.अर्थशास्त्र विभाग प्रो.(श्रीमती) अंजर्ला श्रीवास्तव सदस्य 4. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग प्रो. सुनील तिवारी सदस्य 5. आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग सदस्य प्रो.आर.एन.सिंह 6 संचालक, संचालनालय शोध

समिति की वैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

1. DET-2018 के प्रवेश साक्षात्कार में अई (Cut off Marks से ऊपर) एवं कोर्सवर्क से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के संबंध में विचार करना। जिससे ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. रिजस्ट्रेशन हेतु योग्य हो पायें।

निर्णय— समिति ने प्रारूप तैयार कर कोर्स वर्क से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की।

2. ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करना जो पूर्व में सम्पन्न प्री.पीएच.डी. कोर्सवर्क की परीक्षा में अनुत्तीण हो गये हैं। ऐसे अभ्यर्थी पूर्व सं निर्धारित एक प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे या वर्तमान में चल रहे तीनों प्रश्न पत्रों में सिम्मिलित होना होगा। अगर तीनों प्रश्न पत्रों में सिम्मिलित होना होगा। तो तीनो प्रश्न पत्रों का आन्तरिक मूल्यांकन भी कराना होगा।

निर्णय— अध्यादेश के प्रावधानानुसार पूर्व Doctoral प्रवेश परीक्षा 2014 के ऐसे पूर्व शोध छात्रों को एक और अवसर देते हुए पूर्व वर्ष 2014 के भूतपूर्व छात्र के रूप में पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा कराये जाने की अनुशंसा की गयी।

(haz/h 10.19)

3 ch. 19. 4



### अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क./शोसं/2020/

दिनांक-

### प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री विषय
प्री पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2018. अनुक्रमांकप्रवेश साक्षात्कार में अर्ह पाये
गये। एम.फिल. कोर्स वर्क के साथ उत्तीर्ण होने के कारण इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई
दिल्ली के द्वारा विरचित एम.फिल./पी–एच.डी. विनियम, 2016 के आलोक में इस विश्वविद्यालय में
प्रभावशील अध्यादेश क्र. 11 (पी-एच.डी.) के परन्तुक 11 (A) के अन्तर्गत पी-एच.डी. कोर्स वर्क से छूट
की पात्रता है।

कुलसचिव

Million - Ray 14.10.19

H. 10.19

H. 10.19

ऐसे अभ्यर्थियों के भी आवेदनों पर विचार करना जो पूर्व में कोर्स वर्क किये लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में राम्मिलित नहीं हो सके।

- ि बिन्दु क्रमांक 02 पर लिया गया निर्णय इस विन्दु के अभ्यर्थियों के लिये भी यथावत् लागू किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

  प्री पीएच,डी कोसंवर्क की परीक्षा तिथि, गौछिक परीक्षा एवं परीक्षाफल घोषित करने की तिथियां निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार करना।
- 1— DET-2018 के प्रवेशित शोध छात्रों हेतु कोर्स वर्क परीक्षा दिनांक 16, 18 तथा 20 जनवरी, 2020 को आयोजित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 21, 22 जनवरी, 2020 को साक्षात्कार की अनुशंसा की जाती है, तथा JRF छात्रों के पंजीयन इत्यादि को देखते हुए 31 जनवरी, 2020 तक परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। क्यादेश क्र. 11 के बिन्दु 11 (a) के संबंध में कार्यवाही के संबंध में विचार करना।
- UGC/JRF प्राप्त शोध छात्रों को कोर्स वर्क केन्द्रों से उनकी उपस्थिति सत्यापित कराकर संचालनालय द्वारा उनका प्रकरण अग्नेषित कराये जाने हेतु संचालक, शोध को अधिकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Mich hy

14/10/19


Mathale

J. 14-10-4

C14.1013

demalares

(4.10.10




### बैठक दिनांक 31.10.2019

समिति के समक्ष अनेक विभागों से ऐसे आवेदन आने प्रारम्भ हुए हैं जिनमें प्री.पी-एच.डी. कोर्सवर्क में पंजीकृत शोध छात्रों ने कोर्सवर्क में अपनी उपस्थित दी है किन्तु अपरिहार्य कारणों से वे कोर्सवर्क की निर्धारित अवधि में अपनी वाँछित उपरिथति पूर्ण नहीं कर पाये हैं। उनमें कुछ छात्र जम्मू कश्मीर के हैं तथा कुछ अस्वस्थता के कारण भी उपस्थित नहीं हो पाये हैं।

अतः ऐसे सभी प्रकरणों के लिये अन्तिम अवसर के रूप में प्री. पी-एच.डी. कोर्सवर्क के समन्वयकों द्वारा इन शर्तों के साथ कि उचित कारण होने पर जहां एम.फिल. की कक्षाएं उसी विषय में उसी विभाग में संचालित हो रहीं हों, इन छात्रों की पी-एच.डी. कोर्सवर्क की कक्षाएं संचालित करा ली जायें। ऐसी अतिरिक्त कक्षायें एम.फिल. कोर्सवर्क की कक्षाओं के साथ संचालित होंगी। अतः इनके लिये पृथक से मानदेय प्रदान नहीं किया जाय और इन कक्षाओं के लिये पहले से पी-एच.डी. कोर्सवर्क में उपरिथत नहीं होने वाले छात्रों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

संयोजक के प्रति घन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Mach ale Droling
31.10.19 Droling
3111019
3111019



छात्र मनीष प्रसाद गौतम के आवेदन दिनांक 29.11.2019 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में समिति ने DET-2018 के आवेदन पत्र का सामूहिक रूप से अवलोकन किया। जिसके अन्तर्गत छात्र ने आवेदन पत्र में Course details एवं other details दोनों में संस्कृत विषय के लिये आवेदन किया हैं। जबकि उपरोक्त आवेदन दिनांक 29.11.2019 के बिन्दु क्रमांक-02 में छात्र ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी को उद्धृत करते हुए स्वयं यह माना है कि वह मात्र दर्शनशास्त्र विषय में ही शोध कर सकता है। जबकि अध्यादेश क्र0-11 के 8-B के अन्तर्गत कोई भी आवेदक प्रत्येक विषय में अलग अलग आयोजि<mark>त</mark> प्रवेश परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकता है। इसका शब्दशः अंश निम्नानुसार है-

"Candidates shall be admitted through the Doctoral Entrance Test (DET), which shall be conducted for each subject separately at the University Teaching Department."

अतः आ समय छात्र के अ अन्य विषय में प्रा स्वयं छा पात्रता बनती है जाना अनुशंसित समिति

Literature) 7

क्र.11 के बिन्दु

वाक्यांश "The

as per the e

the other pr

में संचालित प परीक्षकों से मूल अतः त

Viva-voce कराये जाने व

समीक्षा (Revi

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण सूचना एवं ऐसी स्थिति में आवेदन पत्रों की संवीक्षा के समय छात्र के आवेदन पत्र में की गयी घोषणा पर विश्वास की स्थिति में छात्र की योग्यता के विरुद्ध अन्य विषय में प्रावधिक पंजीयन हुआ हैं।

स्वयं छात्र के आवेदन के बिन्दु कं0-02 के अनुसार उसे दर्शनशास्त्र विषय में पीएच.डी. की पात्रता बनती है। अतः अध्यादेश 11 की कण्डिका 8-B के तहत छात्र का पंजीयन निरस्त किया जाना अनुशंसित किया जाता है।

समिति के समक्ष सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशित शोध साहित्य की समीक्षा (Review of Literature) तथा Comprehensive Viva-voce के मूल्यांकन के संबंध में समिति ने अध्यादेश क्र.11 के बिन्दु क्र. 11 (A) का अवलोकन करने के उपरान्त इसी अध्यादिश के अन्तर्गत उल्लेखित वाक्याश "The examination and evaluation sceme for Ph.D. course work shall be as per the examination and evaluation scheme of the University applicable to the other programmes of the UTDs" के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागों में संचालित एम.फिल. पाठ्यक्रम के Comprehensive Viva-voce में आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकन कराया जाता है।

अतः तद्नुसार Pre Ph.D. course work की परीक्षा संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा (Review of Published Research in the relevant field) तथा Comprehensive Viva-voce का मूल्यांकन दो परीक्षकों (सुपरवाइजर तथा एक बाह्य परीक्षक) द्वारा संयुक्त रूप से कराये जाने की अनुशंसा की जाती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

\$ 12-12-2019 () DATE MAGE विश्वाविद्याला की अधिस्य जना क्रमां है । से संगा 2019) 273 रिनां 31.7-२०१८ गांकित स्वीमति स्वेश स्वीमिति की वेश्क समय 12 वर्ज शोध संनालनालय में आयोजित की गयी, जिसमें निम्न लग्न अपित्यत हुने । व्यार वरमा मिन्न, संमामक किए। निमागास्यम प्रमावरण जीव निज्ञान 94101 प्राच्यात व्याव ० अर्थशास्त्र विभाग सदस्य 3- या विमानी) अंजली स्नीनास्तन विमान, विमान। प्राच्या लाइफ लाग लिनी विभाश, 5- प्राण आरे व्यन्त सिंह 510 पीठ छ राभ 6. 34 सेनाला माध सेना । वर्ष 2012-13 वन 3 अन्मार्थिक के सर्व कोर्स अर्फ की परीक्षा में अनुनीर्ध है। योभ है अथवा परीक्षा में ने आनेदन हुमे है, रेसे अन्मार्थिया रामिति द्वारा अवलोकन क्रिमा ग्रामा । पुराने पाठ्यक्रम स्मिनिक होने की अनुश्रेसा न्वाहीगर्मी है। अन्द्यादेश उठ (म) है F(I) है अनुसार रेसे अभाषिकों का परीक्षा में सीम्मिलि है। ने कं रफ अभाषिकी का अवशर और भ्रदान िश्चे जाने है। सामधान है। अतः अ ध्यादेश 30(म) ने सामधाना ने पार्यप्य में

### संचालनालय—शोध अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

### बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक/शोसं./2018/273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गटित समिति की बैठक आज दिनांक 27.12.2019 को अपरान्ह 03:.30 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी । जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1. प्रो. आर.एम.मिश्र – संयोजक निमाग
2.. प्रो.एन.पी. पाठक – सदस्य निमाग
3. प्रो.(श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव – विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
4. प्रो. सुनील तिवारी – सदस्य निमाग
5. प्रो.आर.एन.सिंह – संचालक, संचालनालय शोध
6. डॉ. पी. के. राय – आमंत्रित सदस्य उपामंत्रित सदस्य उपामंत्रित सदस्य जिल्लामालय शोध

समिति की बैठक में निम्नलिखित अनुशंसायें की गयीं-

1. माननीय कुलपित महोदय द्वारा संचालक शोध को अंकित प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क के शोधार्थियों के आवेदन का सिमित ने संज्ञान में लिया। कोर्सवर्क की परीक्षा स्थिगत करने के तीन आवेदनों में से द्वितीय आधार को सिमित ने विचार में लेते हुए प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क के छात्रों की यूपी. शिक्षक पात्रता परीक्षा दिनांक 19 जनवरी, 2020 को आयोजित होने के कारण वर्तमान में प्रस्तावित प्रारम्म होने वाली परीक्षा दिनांक 16 जनवरी, 2020 के स्थान पर 17, 18, 19 एवं 20, 2020, फरवरी को सम्पादित कराने की अनुशंसा की जाती है। प्रत्येक प्रश्नपत्र की लिखित परीक्षा के उपरान्त कोर्स कोऑर्डिनेटर परीक्षा तिथियों में Comprehensive Viva-Voce एवं Review of Literature का मूल्यॉकन सुविधानुसार सम्पन्न कराते हुए समय सारिणी के अन्तिम दिवस Viva-Voce के लिये नियत दिनांक 20.02.2020 को शाम 5:30 बजे तक पूर्ण करा लिया जाय।

कतिपय विभागों से कुछ ऐसे रिसर्च कोर्सवर्क में सम्मिलित छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए है जो 2. कोर्सवर्क तो Join किया था किन्तु अपनी कुछ निजी समस्याओं के कारण कोर्सवर्क हेतु निर्धारित उपस्थिति पूर्ण नहीं कर पाये हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की कोर्सवर्क शुल्क एवं उनका आगामी कोसवर्क हेतु आवेदकत्व व्यापक छात्र हित में सुरक्षित करने की अनुशंसा की जाती है।

संयोजक के प्रति घन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Asg. 9419 06-3-2020

### संचालनालय—शोध अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

### बैटक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक/शोसं./2018/273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 06.03.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी । जिसमें सदस्यों की उपरिथति निम्नानुसार रही–

1.	प्रा. आर.एम.1मश्र	_	
	विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान वि	ोभाग	
2	प्रो.एन.पी. पाठक	-	
	आचार्य, व्या.अर्थशास्त्र विभाग		
3.	प्रो.(श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव	-	
	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग		
4.	प्रो. सुनील तिवारी	-	
	आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग		
5.	प्रो.आर.एन.सिंह	( <del></del> -	
-	संचालक, संचालनालय शोध		
6.	डॉ. पी. के. राय	-	
*	उप संचालक, संचालनालय शोध		

संयोजक शिक्ति वहाराजा

सदस्य Walth 12025

सदस्य

सदस्य वार्मा

आमंत्रित सदस्य 🕳 😘 👝 प्र

समिति की बैठक में निम्नलिखित अनुशंसायें की गयीं-

1. माननीय कुलपित महोदय द्वारा संचालक, शोध को अंकित प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क की परीक्षा में सिमिलित विभिन्न शोधार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र के संबंध में प्राप्त आवेदनों का सिमित ने संज्ञान में लिया।

—ि। पंय — सिमित ने प्रकरण पर विचार करने से पूर्व प्री पी—एच.डी. कोर्सवर्क से संबंधित विषयों—भूगोल, इतिहास एवं प्रा.भा.इ.सं एवं पु. के संबंधित प्रश्न पत्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन का अवलोकन किया साथ ही पाठ्यक्रम समन्वयकों से प्रश्न पत्र के शिक्षण—माध्यम के संबंध में भी चर्चा की। दोनों माध्यमों से यह ज्ञात हुआ कम्प्यूटर एप्लीकेशन की विषय सामग्री अंग्रेजी विषय होने से इसका पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में तथा शिक्षण का माध्यम भी आशिक रूप से अनुपात में अंग्रेजी बाहुल्य रहा है। ऐसी रिथति में सिमिति का प्रकरण के संबंध में सुविचारित अभिमत यह है कि प्री पी—एच.डी. कोर्सवर्क जैसे उन्नत पाठ्यक्रम के छात्रों / परीक्षार्थियों के अंग्रेजी भाषा में मुद्रित पाठ्यक्रम व परीक्षा के प्रकरण को अंग्रेजी में समझ कर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखने की सामर्थ्य की अपेक्षा की जाती है। वैसे भी दोनों विषयों में आवेदन देने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात परीक्षा में सिम्मिलित होने वाले कुल छात्रों से कार्फा कम है। यही नहीं केवल भूगोल विषय के छात्रों ने ही कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रश्न पत्र के दुदारा परीक्षा कराये जाने का आवेदन दिया है। इतिहास एवं प्रा.भा.इ.सं एवं पु. के प्रश्न पत्र का

इस प्रश्न पत्र को उदारता पूर्वक कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों द्वार किया जाय।

2. प्राणिशास्त्र व वाणिज्य के अदल बदल की शिकायत की है निर्णय – यह शिकायत शोध प्रहे । चूँकि पुराने पाठ्यक्रम में इन्थी, जबिक नवीन पाठ्यक्रम में व्में पृथक कर दिया गया है। जिसामग्री न होने से इस प्रश्न पत्र में हैं न की प्रतिकृत।

अतः पुराने पाठ्यक्रम व हुए इनके पूर्णांक का समायोजन को सामायोजित किये जाने की 3. इसी प्रकार एक परीक्ष अर्थशास्त्र विषय में बैठाये जाने निर्णय — समिति ने उक्त प्रक के पाठ्यक्रम अक्षरशः एक ही है विषय की शोध प्रविधि प्रश्न पत्र किया जाकर उसके प्राप्तांको व अनुशंसा की गयी।

ऑर्डिनेन्स क्र0 11 के बिन्दु क्र.1 केन्द्रों से प्राप्त पाठ्यक्रमों के प्रत है।
निर्णय — उपर्युक्त विसंगति को प्रावधानानुसार निम्नांकित आधार obtain a minimum of aggregate in the cours Ph.D. programme".

संचालनालय के माध्यम

संयोज

Conf. 12/2010 6/3

इस प्रश्न पत्र को उदारता पूर्वक मूल्यांकन का अनुरोध किया है। निष्कर्षतः समिति की यह अनुशंसा है कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों द्वारा दी गयी प्रथम परीक्षा यथावत् मान्य करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

प्राणिशास्त्र व वाणिज्य विषय के परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा के पुराने एवं नवीन प्रश्न पत्र की अदल बदल की शिकायत की है।

निर्णय — यह शिकायत शोध प्रविधि प्रश्न पत्र दिनांक 17.02.2020 को सम्पन्न हुई परीक्षा से संबंधित है । चूँकि पुराने पाठ्यक्रम में इस प्रश्न पत्र की विषय सामग्री में कोई एक इकाई कम्प्यूटर से संबंधित थी, जबिक नवीन पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर एप्लीकेशन की पाठ्य सामग्री के एक अलग प्रश्न पत्र के रूप में पृथक कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप अब नवीन पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर एप्लीकेशन की विषय सामग्री न होने से इस प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर अपेक्षाकृत कम हो गया जो कि परीक्षार्थियों के हित में है न की प्रतिकृत।

अतः पुराने पाठ्यक्रम की जगह नये पाठ्यक्रम के शोध प्रविधि के पाठ्यक्रम को मान्य करते हुए इनके पूर्णांक का समायोजन 80 के पूर्णांक को 100 में परिवर्तित कर आनुपातिक रूप से प्राप्तांकों को सामायोजित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

इसी प्रकार एक परीक्षार्थी द्वारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय की प्रश्न पत्र के स्थान पर अर्थशास्त्र विषय में बैठाये जाने की शिकायत की है।

निर्णय - समिति ने उक्त प्रकरण के संबंध में दोनों पाठ्यक्रमों का अवलोकन किया। दोनो प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम अक्षरशः एक ही है। अतः उक्त छात्रा कुमारी निगार खातिमा के व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय की शोध प्रविधि प्रश्न पत्र के स्थान पर अर्थशास्त्र विषय की शोध प्रविधि के प्रश्न पत्र को मान्य किया जाकर उसके प्राप्तांको को व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शोध प्रविधि हेतु मान्य किये जाने की अनुशंसा की गयी।

संचालनालय के माध्यम से यह तथ्य समिति के संज्ञान में लाया गया कि पी-एच.डी. के ऑर्डिनेन्स क्र0 11 के बिन्दू क्र.11 के उपबिन्दु 11-(f) के संबंध में विभिन्न प्री पी-एच.डी. कोर्सवर्क के केन्द्रों से प्राप्त पाठ्यक्रमों के प्रत्येक प्रश्न पत्र के पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक के अंकों में भिन्नता पायी गयी 青1

निर्णय - उपर्युक्त विसंगति को दृष्टिगत रखते हुए समिति की यह स्पष्ट अनुशंसा है कि अध्यादेश के प्रावधानानुसार निम्नांकित आधार पर परीक्षां परिणाम घोषित किये जायें। "The candidate has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade points in aggregate in the course work in order to be eligible to continue in the Ph.D. programme".

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

200 Peris 11-6-2020 कार्य प्रदेसद की बेठक दिनांस 18 मार्च २०२० की स्थानित वीय परमांक 23मार्च 2020 के मार्थित के विन् क्रमा के - ३ के निर्फागानुसार आणु विज्ञान विश्वानिद्यालग्, जवलपुर आयुर्वेद विषय के प दिनांक 23.03.2020 के पद क्र के सम्बन्ध में पी - रूप - डी ० आवेरकों के प्रवेश स्व वैठक सम्पन्न हुई। समिति निम्न प्रमान के सम्माप में नियमानुसार हात्रा हैत में 1. सत्र 2018-19 के लिये कार्यमाही हैने विचार छर अनुशासीम अपान करने रीवा द्वारा आयोजित है लिये निम्ना हुसार स्वीमति का गडन कियाँ लेकिनदूसरी बार प्रशार वाभा है। कमाह / दूल मान / १० १० / 1030 14 गाम 04-06.2020 3 31341尺 2. इसी समय मध्यप्रदेश कार्यालय / 2019 / 29 आयुर्विज्ञान विश्वविद्याल खीमाते के सरस्य निम्नानुसार है। करने हेतु प्रक्रिया पूर्ण सूचना के परिपेक्ष्य में र १- सी॰ आ२° रम निम्ह संभाजन, मिर्प आन्त्रा रमं विभागाद्यं स् डी. (आयुर्वेद संकाय) रं पर्याक्रण जीन निज्ञाम विभाग 3. उपरोक्त (बिन्दु-03) उ आयुर्वेद संकाय के लिये 2. प्रीव उनार व रजन खिंह , खउट्य आन्यार्थ रजनं निभागार्ध्यक्र 4. रीवा विश्वविद्यालय द्वार 🥌 सम्मिलित करते हुए प्र संकाय की प्री. पी-एच. (स्तिष्ट) यद्गार उ- मीण विनेश बुशवादा, 43E4 5. इसी समय अवधेश प्रत अन्या स्व विभागार्यप्र जबलपुर का पत्र क्र./ किया गया है कि मेडि जा रहा है। अतः जो वि तत्काल जबलपुर मेडिक अवधेश प्रताप सिंह विश् प्रवेश हेतु साक्षात्कार उ किन्तु मध्यप्रदेश आयुर्विः फलस्वरूप प्रवेश हेतु अ सका।

### प्रतिवेदन

आयुर्वेद विषय के पी-एच.डी. पात्यक्रम में प्रवेश संबंधी प्रकरण पर कार्यपरिवद की वैठक दिनांक 23.03.2020 के पूर्व क्रमांक 03 के अनुसार गठित समिति की आज विनांक 11.06.2020 की वैठक सम्पन्न हुई। समिति निम्नांकित तथ्यों से अवगत हुई।

 सत्र 2018-19 के लिये पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अक्षोश प्रताप शिंत विश्वविद्यालय, रीवा द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा विज्ञापन में आयुर्वेद शंकाय को सम्मिलित किया गगा। लेकिनदूसरी बार प्रशासन की अनुमति नहीं होने के कारण विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया।

(संलग्नक-01)

2. इसी समय मध्यप्रवेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति का पन्न क.' कुलपित कार्यालय / 2019 / 29 दिनांक 04.02.2019 प्राप्त हुआ, जिरामें उल्लेख किया गया कि मध्यप्रवेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा राम्न 2018—19 के लिये पी—एच, डी, पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी है। फलरवरूप शाराकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के परिपेक्ष्य में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा राम्न 2018—19 में पी—एच, डी. (आयुर्वेद संकाय) से सम्बन्धितपाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

### (शंलम्बक - 02)

3. उपरोक्त (बिन्दु-03) के अनुक्रम में अद्यधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा प्रशासन द्वारा आयुर्वेद संकाय के लिये पुनः प्रवेश विज्ञापन जारी किया गया।

### (रांलम्बक-०३)

4. रीवा विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2019 को अन्य विषयों के साथ आयुर्वेद संकाय को सम्मिलित करते हुए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गयी तथा दिनांक 27.05.2019 को आयुर्वेद संकाय की प्री. पी-एच.डी. के कोर्सवर्क में प्रवेश हेतु साक्षात्कार आयोजित किया गया।

#### (रांलग्नक-04)

5. इसी समय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जवलपुर का पत्र क्र./कुलसचिव/2019/1664 दिनांक 11.06.2019 प्राप्त हुआ जिसमें लेख किया गया है कि मेडिकल विश्वविद्यालय जवलपुर द्वारा रवयं पी-एच.डी. का संवालन किया जा रहा है। अतः जो चिकित्सक आयुर्वेद विषय से पी-एच.डी. कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण तत्काल जवलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय में करें।

#### (संलग्नक-05)

6. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा दिनांक 26.07.2019 को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात्कार उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम तैयार किया गया किन्तु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जवलपुर के उपरोवत पत्र दिनांक 11.06.2019 के फलरवरूप प्रवेश हेतु अर्ह पाये गये इन अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय रीवा की विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक विचांक 06.07.2018 के आयटम क. 04 के निर्णय क. 02 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.07.2010 के पूरक कार्यसूची निर्णय क. 05 अनुसार वर्ष 2018-19 के आयुर्वेद संकाय के गी-एन.डी. प्रवेश संबंधी समस्त अभिलेख दिनांक 08.08.2019 को कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को प्रेषित किया गया।

(शलम्बक-06)

8. आयुर्वेद संकाय के पी-एच.डी. प्रवेश संबंधी रीवा विश्वविद्यालय के उपरोक्त अभिलेखों को कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पन्न क./पीएचडी./2019/2027 दिनांक 29.08.2019 द्वारां रीवा विश्वविद्यालय को वापरा इस लेख के साथ भेज दिया गया कि मेरे यहाँ वर्ष 2019-20 से पी-एच.डी. पाव्यक्रम शंचालित होने जा रहा है जबकि आपके द्वारा भेजे गये आयुर्वेद संकाय का वर्ष 2018-19 का है, जिसका संचालन मध्यप्रवेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा करना संभव नहीं है। आतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रात्र 2018—19 का पी-एच.डी. पाठ्यक्रम को अपने विश्वविद्यालय से ही संचालित करें।

(शंलम्बक=07)

9. आयुर्वेद संकाय को छोड़कर शेष सभी संकार्यों का प्री पी-एच,डी. कोरविर्क का संचालन दिनांक 19.08.2019 से प्रारम्भ कर सम्पन्न कराया जा चुका है।

10. माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त शोध संचालनालय द्वारा पन्न क 🖊 शोध संचा / 2019 / 95 दिनांक 15.10.2019 को आयुर्वेद रांकाय के पी-एच ही पात्यक्रम में प्रवेश संबंधी सभी अभिलेख मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को पुनः प्रेषित किये गरो।

(शंनानाक=08)

11. लेकिन कुलसचिय, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान जबलपुर के पन्न क्र./पीएचडी./2019/3575 दिनांक 01.11.2019 द्वारा उपरोक्त संबंधित अभिलेखों को डाक द्वारा पुनः अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को वापस भेज दिया गया तथा लेख किया गया कि रीवा विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये दरतावेजों के संबंध में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में दिनांक 24.10.2019 को आयोजित Ph.D. Board of Research की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि MPMSU में पी-एच.डी पाठ्यक्रम प्रारम्भिक सत्र 2019-20 से संचालित होने जा रहा है जिसका संचालन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा करना संगव नहीं है। साथ ही उल्लेख किया गया कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए रात्र 2018–19 का पी-एच.डी पाठ्यक्रम का संचालन आप अपने विश्वविद्यालय से ही संचालित करें अथवा इस संबंध में खतः ही समुचित निर्णय लें।

(संलग्नक-09)

### अभिगतः

उपरोज्त तथ्यों के आधार पर समिति का अभिमत निम्नानुसारः

- 1. पी-एच.डी कोर्सवर्क के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों को Research Degree Committee के समक्ष साक्षात्कार हेतु स्वयं को प्रस्तुत होना पड़ता है। अध्यादेश—11 की कण्डिका—12 में पी-एच.डी पाठ्यक्रम में पंजीयन हेतु Research Degree Committee (RDC) के गठन का प्रावधान है। इस समिति में संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, संबंधित विषय के विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्ष, विषय से संबंधित अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तावित पाँच विषय विशेषज्ञों के पैनल में से माननीय कुलपित जी द्वारा नियुक्त एक बाह्य विषय विशेषज्ञ होते हैं। माननीय कुलपित इस समिति के अध्यक्ष होते हैं।
- शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा की सम्बद्धता मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से होने के कारण वर्तमान में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आयुर्वेद संकाय अस्तित्व में नहीं है। इस कारण अध्यादेश–11 की कण्डिका–12 के अनुसार आयुर्वेद विषय की Research Degree Committee (RDC) का गठन नहीं किया जा सकता है क्योंकि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में वर्तमान में आयुर्वेद संकाय की RDC गठन हेतु अध्यादेश–11 के उपरोक्त प्रावधान अनुसार आवश्यक अकादिमक पदाधिकारी अनुपलब्ध हैं।
- 3. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा 03 मार्च, 2019 को आयोजित प्री. पी-एच.डी प्रवेश परीक्षा में आयुर्वेद विषय के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे तथा दिनांक 26.07.2019 को साक्षात्कार उपरान्त अर्ह भी पाये गये। लेकिन ये छात्र पी-एच.डी. कोर्सवर्क करने से वंचित हो गये। इन अभ्यर्थियों का अभी प्री. पी-एच.डी कोर्सवर्क भी नहीं हो पाया है।
- 4. अध्यादेश—11 में स्पष्ट प्रावधान है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों एवं विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक ही शोध निर्देशक मान्य किये जा सकेंगे। वर्तमान में आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अतः यहाँ के शिक्षकों को रीवा विश्वविद्यालय में शोध निर्देशक मान्य किया में नहीं आता। अतः यहाँ के शिक्षकों को रीवा विश्वविद्यालय में शोध निर्देशकों की अनुपस्थिति में जाना अध्यादेश—11 के प्रावधानों के विपरीत होगा। शोध निर्देशकों की अनुपस्थिति में पी—एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन नहीं हो सकता।
- 5. भविष्य में पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत Thesis मूल्यांकन हेतु परीक्षा समिति द्वारा परीक्षकों के नामों का पैनल प्राप्त करने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि परीक्षा समिति में संकायाध्यक्ष एवं अध्यक्ष अध्ययन मण्डल सदस्य होते है। लेकिन इस विश्वविद्यालय समिति में संकायाध्यक्ष एवं अध्यक्ष अध्ययन मण्डल सदस्य होते है। लेकिन इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय अस्तित्व में ही नहीं है तो उपरोक्त पदों के साथ परीक्षा समिति गठित नहीं हो सकती है।

्अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर समिति का मत है कि वर्तमान में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आयुर्वेद संकाय के अभ्यर्थियों का पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन किया जाना नियमानुसार प्रतीत नहीं हो रहा है।



### अनुशंसा

उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के परिपेक्ष्य में समिति का अभिमत निम्नानुसार है-

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा सत्र 2018-19 हेतु पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये दिनांक 03 मार्च, 2019 को आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त दिनांक 26.07.2019 को घोषित अर्ह पाये गये आयुर्वेद संकाय के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा अपने यहाँ सत्र 2019-20 से मान्य करते हुए पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन किये जाने हेतु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की कार्यपरिषद के माध्यम से समन्वय समिति भोपाल के समक्ष प्रकरण विचारार्थ अग्रेषित किये जाने की समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है। ऐसी परिस्थिति में रीवा विश्वविद्यालय द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त अभिलेखों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को उपलब्ध कराया जाना अनुशंसित हैं।

आयुर्वेद विषय की सत्र 2018—19 के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा में अई पाये गये अभ्यर्थियों का कोर्सवर्क परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विशेष परिस्थिति में पूर्व में गठित Research Degree Committee (RDC) के द्वारा ही साक्षात्कार उपरान्त रीवा विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन किये जाने के लिये अनुमोदन हेत् प्रकरण कार्यपरिषद के माध्यम से समन्वय समिति, भोपाल की ओर अग्रेषित किये जाने की समिति अनुशंसा करती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

सदस्य

प्री. दिनेश कुशवाहा

सदस्य



### संचालनालय-शोध अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

### बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक / शोसं. / 2018 / 273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 23.10.2020 को मध्यान्ह 12:00 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी । जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1.	प्रो. आर.एम.मिश्र –	संयोजक प्रिंग के
	विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग	23/11/1
2.	प्रो. (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव –	सदस्य

2. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान

प्रो. स्नील तिवारी 3. आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग

प्रो.आर.एन.सिंह 4.

संचालक, संचालनालय शोध डॉ. पी. के. राय 5. उप संचालक, संचालनालय शोध

प्रो. श्रीकान्त मिश्र 6.

सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

- छात्र मनीष गौतम के आवेदन दिनांक 19.08.2020 पर विचार करना। निर्णय:-छात्र के आवेदन पर समिति की पूर्व बैठक दिनांक 09.12.2019 के बिन्दु क्र. 01 के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए छात्र के आवेदन को अमान्य किया गया।
- प्रो. श्रीकान्त मिश्र आचार्य, दर्शनशास्त्र के पत्र दिनांक 16.07.2020 पर विचार करना।

निर्णय:— प्रो. श्रीकान्त मिश्र, आचार्य, दर्शनशास्त्र का पत्र दिनांक 16.07.2020 के तत्सम्बन्ध में समिति अनुशंसा करती है कि अगले पी.एच.डी. विज्ञापन के समय संकायवार विषयों का निर्धारण किया जायेगा।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।



### संचालनालय–शोध अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रासंशो./2021/

दिनांक-

### बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक / शोसं. / 2018 / 273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 03.09.2021 को मध्यान्ह 12:30 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी । जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही-

- प्रो. आर.एम.मिश्र
   विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग
- प्रो. (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव विमागाध्यक्ष, मनोविज्ञान
- प्रो. सुनील तिवारी
   आचार्य, लाइफ लॉग लिनैंग विभाग
- प्रो.आर.एन.सिंह संचालक, संचालनालय शोध
- प्रो. अतुल पाण्डेय विभागाध्यक्ष, व्यावसायिक प्रबन्ध
- प्रो. श्रीकान्त मिश्र विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य विद्युप

सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

दर्शनशास्त्र के Allied subject का निर्धारण।

निर्णय:—प्रो० श्रीकान्त मिश्र, विभागाध्यक्ष, दर्शन विभाग के पत्र दिनांक 16.07.2020 पर विचार करते हुए एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में मान्य Allied subjects का अवलोकन किया गया। तद्नुसार समिति निम्नलिखित विषयों को दर्शनशास्त्र विषय के अन्तर्गत पीएच.डी. — की उपाधि हेतु Allied subject के रूप में मान्य किये जाने की अनुशंसा करती है।

- (1). योग
- (2) संस्कृत
- 2. 🦸 सैन्य विज्ञान के अध्ययन मण्डल के गठन के संबंध में विचार करना।

निर्णय:— सिमिति ने वरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम सैन्य विज्ञान विषय के — पाठ्यक्रम का अवलोकनोपरान्त यह पाया क्रमा कि इस पाठ्यक्रम में भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं मनोविज्ञान विषयों से संबंधित विषय सामग्री समाहित है। अतः उपरोक्त विषयों के विषय विशेषज्ञ को समाहित कर अध्ययन मण्डल के गठन की समिति अनुशंसा करती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

AA - ब्लाया पार्वटम के अल्वेडन वर PA2209000 126 पर विचार कल दिशक 05/09) 2022 की अपरान्ह 3:00 वर्ण उच्च 9 . 5 र मिरात का अंका तथा उसके आधार पर गही आपके जारि खेश 46 1962 64 2

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादिमक / 2021 / 2-76

रीवा दिनांक:-23)3121

## अधिसूचना

आदेशानुसार, कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक / प्रशासन / 2018 / 27 रीवा, दिनांक 28.05.2018 के तहत पीएच0—डी० शोध प्रबंधों के लिये Plagiarism Prevention Regulation (PPR) मान्य किया गया था। अतः Urkund के साथ PPR अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर Turnitin/Writecheck/Checker X/Unplag/Copyscape/Viper/Plagpracker /Playprogramme/Plagiarism.net एवं अन्य प्रमाणित उक्त सॉफ्टवेयरों के माध्याम से Plagiarism संबंधी परीक्षण मान्य किया जावेगा।



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

- 1. प्राचार्य / समस्त शोध केन्द्र / सम्बद्ध महाविद्यालय, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
- 3. विभागाध्यक्ष / प्राचार्यगण की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया अपनी संस्था में कार्यरत शोध निर्देशकों को सूचित करने का कष्ट करें।
- 4. डॉo पीoकेo राय, सिस्टम इंचार्ज कृपया उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय के बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5. संचालक, शोध संचालनालय, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
- 6. प्रो० (श्रीमती) नविता श्रीवास्तव, ई-लाइब्रेरी, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
- 7. प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
- 8. विभागाध्यक्ष, अकादमिक / प्रशासन विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
- 9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
- 10. संबंधित नस्ती।

सहा० कुलसचिव (अकादिमक)

Asha Anuragi

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमाक / प्रशासन / 2018 / 27

रीवा दिनाक:- 20-05-2013

## अधिसूचना

आदेशानुसार विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनाक 20 2 2018 के निर्णय के अनुक्रम में एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनाक 24.2 2018 के पूरक कार्यसूची के आयटम क्रमांक 5 में लिये गये निर्णय अनुसार में पीएचं डी शोध प्रबंधों के लिये (PLAGIARISM PREVENTION REGULATION (PPR) मान्य किया

अन इस एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

कुल्सिवं व

## प्रतिलिपि सूचनार्थः-

- प्रचार्य / समस्त शोध केन्द्र / सम्बद्ध महाविद्यालय अ प्र.सिह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अ.प्र.सिह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
- विभागाध्यक्ष / प्राचार्यगण की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया अपनी संस्था में कार्यरत शाध निर्देशकों को सूचित करने का कष्ट करें।
- 4 डॉ पी के राय सिस्टम इंचार्ज, कृपया उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5 निदंशक ,शोध राचानालय अ.प्र.सिह वि.वि.रीवा (म प्र.)
- ं श्रीमती नबिता श्रीवास्तव,तकनीकी अधिकारी,ई लाइव्रेरी, अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
- गुरत्तकालयाध्यक्ष केन्द्रीय पुस्तकालय, अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
- ८ उपक्लसचिव अकादमिक।
- ५ मृचना पटल / स्वागत कालंटर
- 10 कुलपित जी के सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा(म.प्र.)
- 11 प्रशासन/अकादमिक विभाग।
- 12 कुलसचिद के निज सहायक।

सलगन - रेग्यूलेशन सलग्न :

उपकुलसचिव (प्रशासन)

# A.P.S. UNIVERSITY, REWA, 486003, (M.P.) REGULATION (DRAFT)

### 1. TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT

- (a) TITLE: PLAGIARISM PREVENTION REGULATION (PPR)
- (b) It will be applicable on Ph.D. research scholars.
- (c) The regulation will come into for i from the date of its notification by the university.

### 2. **DEFINITION:**

Plagiarism is academic theft. Plagiarism is presenting another person's ideas, information, expressions or entire work as one's own. It is a kind of fraud of deceiving others to gain something of value. Plagiarists are seen not only as dishonest but also as incompetent, incapable of doing research and expressing original thoughts. They suffer public embarrassment, diminished prestige and loss of credibility. The offense of plagiarism is serious because it brings into question everything about the researcher's work. Plagiarism undermines the relationship between the supervisor and the research scholar, turning a ervisors into detectives instead of mentors, fostering suspicion instead of trust and making it difficult for learning to take place. Research scholars who plagiarize deprive themselves of the knowledge they would have gained if they had done their own work. Plagiarism undermines public trust in the university.

Therefore, the present Regulation "PPR" is being implemented in A.P.S. University.

### 3. OBJECTIVES:

- i) To create academic awareness about responsible conduct of research, promotion of academic integrity—d prevention of misconduct including data plagiarism and self plagiarism
- ii) To establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research, promotion of academic integrity and deterrence from plagiarism.
- iii) To develop systems to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarism and penalize a research scholar for plagiarism.

N. .... J. 03.07.18

## 4. AWARENESS PROGRAMMES AND TRAINING:

The university will conduct sensitization seminars, awareness programmes and training workshops on responsible conduct of research, promotion of academic integrity and ethics in education for students, researchers, faculty, employees and other members of the staff.

## 5. CURBING PLAGIARISM:

- thesis by plagiarism detection software prescribed by the UGC/Turnitin / Write check/ Checker X / Unpiag / Copyscape / Viper / Plagpracker/ Play programme / plagiarism.net / any other authenticated software.
- ii) Each research scholar will submit a certificate that his/her thesis is plagiarism free. The certificate will be forwarded by the supervisor/co-supervisor as provided in the Ph.D. ordinance 11.
- iii) The university may update the list of approved software at least every 3 year.
- iv) The university may create as institutional repository on its website which may include all Ph.D. theses.

## 6. SIMILARITY CHECKS FOR EXCLUSION FROM PLAGIARISM:

The similarity checks for plagiarism will exclude the following:

- i) All quoted work either falling under public domain or reproduced with all necessary permission and / or attribution.
- ii) All references, bibliography table of content, preface and acknowledgements.
- iii) All small similarities of minor nature.
- iv) All generic terms, laws, standard symbols and standard equations.
- v) Mathematical formulae

## 7. ZERO TOLERANCE POLICY IN CORE AREA:

The core work carried out by the researcher will be based on original ideas and will be covered by zero tolerance policy in core area. In case, plagiarism is established in the core work, then Plagiarism Discipline Authority (PDA) will impose renalty.

.T. 20216

103/02/18

The core work will include abstract, objectives, summary, hypotheses, observations, findings, results, analysis, conclusions, recommendations. suggestions etc.

### LEVELS OF PLAGIARISM: 8.

Plagiarism will be qualified into following levels in ascending order of severity for the purpose of imposing penalty:

- i) Similarities upto 20% excluded
- ii) Level 1: Similarities above 20% 40%.
- iii) Level 2: Similarities above 40% to 60%
- iv) Level 3: Similarities above 60%.

# DETECTION AND HANDLING OF PLAGIARISM:

A mandatory certificate will be issued by Chief Librarian Prof. In-Charge, Central Library of the University at the time of submission of the thesis. In case of level 1 similarities and above, the particular thesis will be referred to AMP (Academic Misconduct Panel)

## ACADEMIC MISCONDUCT PANEL (AMP): 10.

- i) AMP will be constituted by the V.C. for each case on report of excess similarities (Level 1) and above reported by the Chief Librarian / Prof. In-Charge, Central Library.
- ii) The AMP will have the power to assess the level of plagiarism and thus recommend penalty (ies) accordingly.
- iii) The AMP will consist of four members who will be senior academicians with good publication record with at least one member nominated by the VC from outside the university. The Chairperson of the AMP will be an academic functionary (Dean Pro-VC Senior Academician of the university. The third member will be a reputed Academician from the discipline in which plagiarism is alleged. The fourth member will be an expert well versed with anti plagiarism tools and software.
- iv) The AMP will follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the researcher.

Dellandy 570418

- v) The AMP will send the report after investigation and recommendation on penalties to the PDA within a period of 45 days from the date of reporting by the Chief Librarian / Prof. In-Charge, Library.
- vi) A copy of the report of AMP will be provided to the candidate against whom plagiarism has been reported.

## 11. PLAGIARISM DISCIPLINARY AUTHORITY (PDA):

- i) PDA will be constituted by the VC to consider the recommendation of the AMP and take appropriate decision after giving a hearing to the accused person.
- ii) There will be three members in the PDA chaired by the VC. The other two members will be nominated by the VC. The other members will be a Dean Director, Research Directorate and one senior academician not below the rank of Professor in the relevant discipline.

### 12. PENALTIES:

Penalties in the case of plagiarism will be imposed on the candidate only after academic misconduct on the part of the offender has been established without dcubt, and the individual in question has been heard in a fair and transparent manner. All the proceedings of the AMP and the PDA will be held on camera. The penalties will be as follows:

## I) LEVEL 1: SIMILARITIF'S ABOVE 20% to 40%

The candidate will not be given any mark or credit for the plagiarized thesis and will be asked to submit a revised thesis within 6 months.

## II) LEVEL 2: SIMILARITIES ABOVE 40% to 60%

The candidate will not be given any mark or credit for the plagiarized thesis and will be asked to submit a revised and rewritten thesis after one year but not exceeding 18 months.

## III) LEVEL 3: SIMILARITIES ABOVE 60%

The candidate will not be en any mark or credit for the plagiarized thesis and his or her registral on for Ph.D. will be cancelled.

iv) The supervisor may not be allowed to supervise any Ph.D. scholar for a period of one year by the P.D.A.